बुद्धिवादी निःशक्त अधिनियम एवं उनकी समावेशी शिक्षा

शैलेश यादव

शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

सन्दर्भः–

विश्व विकलांग दिवस की शुरूआत 3 दिसम्बर 1991 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। जिसका प्रमुख उद्देश्य वर्तमान समाज में प्रचलित वैचारिक जगत में परिवर्तन लाना है। समाज में विद्यमान भेद–भाव को समाप्त कर जागरूकता फैलना है। विकलांगता एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास मे कठिनाईया पैदा करता है यदि सम्पूर्ण विश्व के आकड़ों पर ध्यान केन्द्रित करे तो एक अरब लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है। ऐसे व्यक्तियों को अनेक कठिनाइयों का सामाना करना पड़ता है जिससे हम सहज जीवन की कल्पना भी नही कर सकते। सभी निःसक्तों को समान अवसर और अधिकारों मे जागरूकता ला कर उनमें अनेक परिवर्तन कर सकते हैं। भारत के सन्दर्भ में निःसक्त अधिनियम 2016 संसद ने पारित कर अपने वास्तविक उद्देश्य की रूपरेखा पर मुहर लगा दी है। केन्द्र व राज्य सरकारे इस अधिनियम के माध्यम से अपने–अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के समर्थ हो सकेगी। जनगणना 2011 में जहाँ शहरी विकलांगता एवं ग्रामीण विकलांगता के बीच अन्तर बढ़ा है। वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 में समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांगो को शैक्षिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए अनेक मार्ग की सम्भावनाओं के द्वारा खुले है, जिससे समाज के बदले स्वरूप में इनको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। समावेशी शिक्षा हो या विशिष्ठ शिक्षा निःशक्तों को आवश्यकतानुसार प्रदान कर इनके भावी–जीवन को सफल बनाया जा सकता है। सुग्मय भारत अभियान इस दिशा में असरदार साबित हो सकता है, जिससे स्कूलों, अस्पतालों सरकारी दफ्तरों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों सहित सभी सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश आसानी से हो सकते है।

प्रस्तावना– मानव जीवन सभी जीवधारियों में अनोखा, अनूपम व अद्वितीय है। प्रकृति ने मानव को सभी जीवों में श्रेष्ठता प्रदान की है। यह अपने बुद्धि एवं विवेक के माध्यम से नये विचार, योजनाएं, अनुसंधान के माध्यम से समाज परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित रहा है। वर्तमान समय में मनुष्यों के बीच एक ऐसा वर्ग दिखाई देता है जो समाज की मुख्य धारा से वंचित रहा है, जिसे निःशक्त, दिव्यांग, विकलांग इत्यादि नामों से जाना जाता है। संवैधानिक प्रावधानों ने मानव की गरिमा को स्थापित करने के लिए समय–समय नित्य नये, अधिनियमों, कानूनो को

Scanned with CamScanner

स्थापित किया है। जिससे भारत सरकार एवं राज्य सरकार निःशक्त जनों के प्रति सजग एवं उनके हितों की रक्षा के लिए निःशक्त समान अवसर, अधिकरों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता के उत्तरदायित्वों के प्रति सकारात्मक पहल करके समाज की मुख्य धारा में स्थापित करे। विकलांगता कई प्रकार की होती है। हर प्रकार के लिए समयावधि, काल, परिस्थिति के अनुसार न्योचित दृष्टिकोण के साथ विशेष समाधान की आवश्यकता होती है। जिससे मानव के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आथ्रिक, राजनैतिक मूल्यों को स्थापित किया जा सके। समतामूलक समाज की अवधारणा का जन्म वास्तविक रूप से तभी साकार हो सकेगा, जब सभी के विचारों में परिवर्तन ला कर समरसता की भावना का विकास करे। विकलांग होना कोई अभिशाप नहीं है इनको सशक्त बनाने के लिए और इन्हे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों (घर को समाज में और कार्यस्थलों पर) के निर्वहन के लिए अवसर प्रदान करने हेतु, बाधाओं को दूर करने के लिए उठाये गये कदम से है। नये विचारों का प्रस्फुटन हुआ है। निर्भरता और निम्न आशा की संस्कृति का अंत हो और एक ऐसे समाज की ओर कदम बढ़ाया जाय जिसमें विकलांग लोगो के लिए सहयोग पूर्ण नजरिया रखे, उन्हे भागीदार एवं समावेशी बनाने के लिए उनको सशक्त करे और समर्थन दे।

विकलांगता एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास मे कठिनाईया पैदा करता है। सभी निःसक्तों को समान अवसर और अधिकारों मे जागरूकता ला कर उनमें अनेक परिवर्तन कर सकते हैं। भारत के सन्दर्भ में निःसक्त अधिनियम 2016 संसद ने पारित कर अपने वास्तविक उद्देश्य की रूपरेखा पर मुहर लगा दी है। केन्द्र व राज्य सरकारें इस अधिनियम के माध्यम से अपने–अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के समर्थ हो सकेगी।

वैश्वित स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसर की समानता (1983) पर संयुक्त राष्ट्र मानक नियमावली के नियम 5 सुगम्यता में पर्यावरणीय सुगम्यता पर प्रमाणिक और स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है। विकलांगो के अधिकारों पर हाल में हुए कन्वेशन (सी0आर0पी0डी0)[2] में सुगम्यता को एक सामान्य सिद्धान्त और एक विशिष्ट अनुच्छेद के रूप में बताया गया है। सुगम्यता सम्बन्धी जरूरतों को समझने के लिए विशिष्ट अनुच्छेद के तौर पर अनुच्छेद 9, सुगम्यता, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता के साथ तथा सूचना तक पहुँच और अनुच्छेद व्यक्तिगत अस्थिरता के साथ पढ़ा जाना चाहिए। कन्वेशन के अनुच्छेद 4 सामान्य दायित्वों में राज्यों को अपने सभी विकलांग नागरिगो को सुगम्यता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है और सुगम्यता की प्रगतिशील अनुभव के विचार को आगे रखा गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत कुल जनसंख्या 1210569573 है जिसमें 2.68 करोड़ लोग विकलांग है जिनमें 1.5 करोड़ पुरूष एवं 1.18 करोड़ महिलाए है। विकलांगो की संख्या में वृद्धि दर शहरी क्षेत्रों एवं शहरी महिलाओं में अधिक है। 2001 से 2011 के मध्य शहरी क्षेत्रों में 48.29 प्रतिशत और महिलाओं में 55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। अनुसूचित जातियों में विकलांगता की वृद्धि दर 2.45 प्रतिशत है (2011) की जनगणना के इन आकड़ों के आधार पर हमें समझ सकते है कि इनके कल्याण के लिए लाया निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

Scanned with CamScanner

(UNCRPD) पर हस्ताक्षर कर 8 अक्टूबर 2007 को उसका इन्ही बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1995 का अधिनियम, संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुरूप नहीं है देश में निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण हेतु एक नए कानून को लागु करने की आवश्यकता महसूस हुई। जो 27 दिसम्बर 2016 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर अंर्तराष्ट्रीय संधि के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा किया। यह अधिनियम 'निःशक्त व्यक्ति' (समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 का स्थान लेगा। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किये गये है।

1. विधेयक में दिव्यांगो की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
2. वाचन एवं भाषा सम्बन्धित तथा सीखने में कमजोरी (Specific Learning Disability) को पहली बार निःशक्तता की श्रेणी में शामिल किया गया है।
3. एसिड हमले के पीड़ितों को भी निःसक्तता की श्रेणी में शामिल किया गया है।
4. निःसक्तता की नयी श्रेणीयों में रक्त से सम्बन्धित तीन विकारो ययायैलेसीमिया, होमोफीलिया तथा सिकल सेल रोग को शामिल किया गया है।
5. विधेयक में निःशक्त अधिकारों के लिए सरकारी नौकारियों में आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का प्रावधान है।
6. विधेयक में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए क्रमशः राष्ट्रीय एवं राज्य आयुक्त के गठन का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान स्वरूप

यदि हम 2011 की जनगणाना से प्राप्त आकड़ों पर ध्यान दे तो विकलांग व्यक्तियों की संख्या तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग छात्रों की तुलना में विकलांग बच्चों के शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में भारत देश को एक लम्बा सफर करना शेष है। एक वर्ष से 6 वर्ष तक के आयु के तथा उच्चशिक्षण संस्थानों में विकलांगो की भागीदारी के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आकड़े नहीं मिलते जो किसी नीति निर्माण के नियंत्राओं के सामने बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 से लागू होने के पश्चात् भी 20 प्रतिशत विकलांग बच्चों/व्यक्तियों तक भी नही पहुँच पाये है। भारत के विकलांगो के अधिकारों में सम्बन्धित कई अंतराष्ट्रीय घोषणापत्रों एवं सन्धियों पर हस्ताक्षर किये है एवं विकलांगो के अधिकार सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र समझौते पर भारत ने 2006 में हस्ताक्षर किया और उसे स्वीकार किया है। यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के अनुच्छेद 24 में विशेष रूप से शिक्षा की बात कही गयी है तथा सरकारों को दो काम के लिए बाध्य करता है।

1. विकलांग बच्चो, युवाओं को अन्य बच्चों के समान शिक्षा मुहैया कराना।
2. ऐसी समावेशी शिक्षा व्यवस्था करना।

इस प्रकार भारत प्रत्येक दिव्यांग बालक को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। लेकिन विकलांग बच्चों तथा विशेष रूप से विकलांग बालिकाओं के लिए विकलांगता का ध्यान रखने वाले बाधारहित तथा अनुकूलन आधारित ढ़ाचे एवं शैक्षिक वातावरण में शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु केवल प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है। समावेशी शिक्षा के विचार को

Scanned with CamScanner

स्पष्ट करना आवश्यक है। यह वैचारिक दृष्टिकोण, विचार, अभिमान, नीतियो, कार्य योजना, कानूनी प्रावधान तथा संसाधन आवंटन में दिखनी चाहिए। अतीत के अनुभव कटु साक्षी रहे है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग नहीं माना जाता था और सामान्य शिक्षा प्रणाली में हमारे विद्यालयों एवं विश्व विद्यालयों को सच्चे अर्थो में समावेशी बनाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था।

क्या राष्ट्रीय शिक्ष नीति 2015 निःशक्त बच्चो/व्यक्तियों में समावेशन का स्वरूप परिवर्तित करने में समर्थ है। शिक्षा पर सभी नितिया मूलतः राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं राजनीतिक दृष्टि को कार्य में बदलने का मार्ग तलाशने का प्रयास है। समाज की मुख्य धारा से वंचित एक ऐसे वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था, जो विकास की मुख्य मे आ सके तथा समावेश के मार्ग में आने वाली सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक–राजनीतिक–धार्मिक, प्रशासनिक एवं अन्य प्रकार की समस्याओं को पहचाने एवं व्यवस्थित तरीक से दूर करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 से समावेशी शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति/अल्पसंख्यको/विकलांग बच्चो एवं युवाओ और अन्यत्र गरीब तथा कठिन चुनौतिपूर्ण स्थितियों मे रह रहे बच्चों की विविध आवश्यकताओं शामिल किया गया है।

समाजिक असमानता को समाप्त करने का नवीन दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 में नीचे से ऊपर बढ़ने की नीति अपनाई गयी है जिससे समूदाय की चर्चा/बहस प्रतिभागिता आरम्भ होती है। यह भावी भारत वर्ष के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म तैयार कर सुदृढ़ता प्रदान करेगी। शिक्षा व्यवस्था में सभी अंगो में विकलांगता को शामिल किया है चाहे शिक्षा में प्रवेश हो, प्रवेश नीतिया हो, शिक्षको का प्रशिक्षण हो, पाठ्यक्रम का विकास हो, शिक्षण की रणनीतियां हो, पठ्न सामग्री हो, मूल्यांकन व्यवस्था हो आभासी शिक्षा माध्यम हो। यह नीति विकलांग बच्चों को अलग–थलग करने वाले भेदभाव को समाप्त करती है। मानव जीवन मूलभूत इकाइयो को स्थापित करते हुए समावेशी शिक्षक के मामले में विकलांगता के बजाय, शिक्षा के नवीन दृष्टिकोण को स्थापित कर रही है। प्रत्येक बच्चे के लिए ऐसे सूक्ष्म एवं सहयोगी वातावरण में शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु समावेशी दृष्टिकोण एवं लक्ष्यों को विशिष्टता देने वाली; मापन योग्य कदम से जोड़ती है।

निष्कर्ष :– मानव जीवन को गरिमापूर्ण से व्यतित करने के दृष्टिकोण से निःशक्ता अधिकार अधियम प्रभावी एवं महत्व पूर्ण है। जो नये जीवन की आकांक्षाओं को साकार करने में समावेशी शिक्षा निःसहाय एवं निःशक्त लोगो के लिए एक अनोखी पहल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 में पहली बार इनको समान अवसर एवं सार्वभौखिक शिक्षा के लक्ष्य को केन्द्रित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए सराहनीय–प्रयत्न किये गये है लेकिन अभी भी इनके लिए नीति को बुनियादी धरातल पर लाना शेष है जिससे आने वाले समय में हम निःशक्ततो के साथ न्याय कर सकेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. स0रा0 महासभा 48/96 अनुलग्नक अध्याय दो।
2. ई0 हेलैडर (1993) : प्रेजडिस एण्ड डिग्निटी यू0एन0डी0पी0, न्यूयार्क

Scanned with CamScanner

3. टी जानसन (1995): इन्क्लूसिव एजुकेशन, जिनेबा, यू0एन0डी0पी0।
4. एम0एन0जी0 मणि (2000) इन्सक्लिव एजेुशन रामकृष्ण विद्यालय, कोयंबटूर
5. इन्दूमति राव, फाम पंचायत पार्लियामेंट (2009) : सी0वी0आर0 नेटवर्क, बेंगलूरू
6. पोर्टिन टू एसरी विपेज 1998; सी0वी0आर0 नेटवर्क, बेगलुरू
7. जी0जानसन (2003) सी0वी0आर0 नेटवर्क के सुदूर शिक्षा कार्यक्रम हेतु तैयार की गयी अन्क्लूसिव सी0डी0।

Scanned with CamScanner